भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2104

सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

राजस्व घाटा क्षतिपूर्ति

2104. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
श्रीमती गोड्डेति माधवी:
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:
श्री श्रीधर कोटागिरी:
श्री एन. रेडडप्पा:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्व घाटा क्षतिपूर्ति के रूप में आंध्र प्रदेश को 18,830 करोड़ रुपए जारी करने के लिए प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार**,** भारत सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में (फरवरी 2021 तक) **आंध्र प्रदेश** राज्य सरकार को 5**,**405.59 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है।

(घ) केंद्र सरकार संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी सकल बजटीय सहायता की उपलब्धता के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)**,** केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान और विशेष सहायता के तहत राज्य सरकारों को निधियां/सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा**,** राज्यों में विकासात्मक गतिविधियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (सीएस) के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को भी सीधे निधियां जारी की जाती है।

******